कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति
बीईएमएल लिमिटेड

बीईएमएल लिमिटेड
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

बीईएमएल लिमिटेड के निदेश कमंडल ने 23.04.2021 को संपन्न अपनी 373वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के आधार पर "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति" में संशोधन को मंजूरी दी है, जैसा कि आवधिक कौर पर संशोधित किया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षक और प्रयोज्यता
यह नीति, जिसमें कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को चित्रित करने के लिए कंपनी के दर्शन को शामिल किया गया है और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण और स्थिरता और विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों / परियोजनाओं और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश और तंत्र निर्धारित करता है, अधिमानतः स्थानीय क्षेत्रों में और इसके संचालन के क्षेत्रों, इसे "बीईएमएल सीएसआर नीति" के रूप में शीर्षक दिया गया है।

यह नीति बीईएमएल के सभी इकाइयों / आंचलिक कार्यालयों / क्षेत्रीय / जिला कार्यालयों / कार्य केंद्रों और स्थानों, या कंपनी द्वारा निर्णय लिए गए किसी अन्य स्थान पर समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए की गई सभी सीएसआर परियोजनाओं, गतिविधियों और पहलों पर लागू होगी।

विजन कथन और उद्देश्य
विजन
"पर्यावरणीय सरोकार के साथ समाज के सतत विकास के लिए गतिविधियों और पहलों को शुरू करके समाज, हमारे शेयरधारकों, अन्य हितधारकों और समुदायों के लिए मूल्य-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है"।

उद्देश्य

संगठन में सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए, अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से निर्वहणीय तरीके से संचालित करना।

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को हाथ में लेना जो अपनी इकाइयों / आंचलिक कार्यालयों / क्षेत्रीय / जिला कार्यालयों / कार्यकेंद्रों में और आसपास के समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं और समय-समय पर स्थानीय आबादी तथा लोगों के जीवन और आर्थिक कल्याण की गुणवत्ता को बढ़ाने में परिणाम देते हैं।

अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, बीईएमएल के लिए एक सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में बीईएमएल की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

परिभाषाएँ:

(1) "अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 है;

(2) "प्रशासनिक ओवरहेड्स" का अर्थ कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्च से है, लेकिन इसमें किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे खर्च किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।;

(3) "अनुबंध" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न अनुबंध;

(4) "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" का अर्थ है कंपनी द्वारा इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित वैधानिक दायित्व के अनुसरण में की गई गतिविधियाँ, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसरण में की गई गतिविधियां। बशर्ते कि कोई भी कंपनी अपने व्यवसाय के सामान्य रूप में नए टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास गतिविधि में लगी हो, नए टीके की अनुसंधान और विकास गतिविधि कर सकती है, वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए कोविड-19 से संबंधित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की शर्तों के अधीन कि (क) अधिनियम की अनुसूची VII के मद (ix) में इस तरह की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को उल्लिखित संस्थानों या संगठनों में से किसी के सहयोग से किया जाएगा।; (ख) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी गतिविधि का विवरण अलग से प्रकट किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करनेवाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर कंपनी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि;

(iii) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान ;

(iv) वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करनेवाली गतिविधियाँ;

(v) अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ;

(vi) भारत में लागू किसी कानून के तहत किन्हीं अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियां;

(5) "सीएसआर समिति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 में संदर्भित बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;

(6) "सीएसआर नीति" का अर्थ है एक कंपनी के बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और दिशा से युक्त एक बयान, अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, और गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्रवाई योजना के निर्माण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं।;

(7) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" का अर्थ संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संगठन है, जिस पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान लागू होतेहैं;

(8) "निवल लाभ" का अर्थ है अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का निवल लाभ, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) किसी विदेशी शाखा या कंपनी की शाखाओं से उत्पन्न कोई लाभ, चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्य था तथा

(ii) (ii) भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत कवर और अनुपालन करता है: बशर्ते कि इन नियमों के तहत आनेवाली विदेशी कंपनी के मामले में, निवल लाभ का अर्थ ऐसी कंपनी का निवल लाभ है अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ और हानि खाते के अनुसार;

(9) "चालू परियोजना" का अर्थ है एक कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई एक बहु-वर्षीय परियोजना जिसमें वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष से अधिक की समय-सीमा नहीं है, और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में एक

बहु-वर्षीय के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था। परियोजना लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ाया गया है;

(10) "लोक प्राधिकरण" का अर्थ है 'लोक प्राधिकरण' जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित है;

(11) " धारा " का अर्थ अधिनियम का एक खंड है।

(12) शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

सीएसआर समितियां

बीईएमएल के पास बोर्ड की एक सीएसआर समिति होगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होंगे ।

धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का खुलासा करेगी।

नोट: हालांकि, यदि कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन लागू नहीं होगा और ऐसे मामलों में ऐसी समिति के ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल कार्यों का निर्वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।"

सीएसआर गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता करने और आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया गया है:

i. कॉर्पोरेट सीएसआर समिति: एक कार्यकारी की अध्यक्षता में अधिमानतः कार्यकारी निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर टीम से मिलकर बनेगी, जैसा कि प्रबंधन द्वारा नामित किया जा सकता है।

ii. मंडल सीएसआर समिति: प्रबंधन द्वारा नामित के रूप में कॉम्प्लेक्स के प्रमुख / प्रभाग के प्रमुख की अध्यक्षता में अधिकारियों की टीम से मिलकर बनेगी।

सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों को पूरा करने के लिए, समितियों की बैठक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी:

बोर्ड की सीएसआर समिति	:	एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक।
कॉर्पोरेट सीएसआर समिति	:	एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक।
संभागीय सीएसआर समिति	:	महीने में एक बार

सीएसआर और सतत विकास (एसडी) गतिविधियों के क्षेत्र

(i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है;

(ii) विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना;

(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डेकेयरसेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आनेवाली असमानताओं को कम करने के उपाय;

(iv) पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।;

(v) इमारतों की बहाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

(viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएमकेयर्सफंड) या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों के राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्प संख्यक और महिलाएं;

(ix) क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान; तथा

ख) सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में योगदान, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय परिषद सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर);

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं;

(xi) स्लम क्षेत्र का विकास। स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजनों के लिए 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी कानून के तहत घोषित किया गया कोई भी क्षेत्र होगा।

(xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

वित्त पोषण और आवंटन

(i) सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे।

(ii) कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां वह पीउम्र 7 | 14

कॉर्पोरेटसामाजिकउत्तरदायित्वगतिविधियोंकेलिएनिर्धारितराशिकोखर्चकरनेकेलिएसंचालितहोताहै:

(iii) इसके अलावा, यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड, धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में, राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अव्ययित राशि संबंधित न हो किसी भी चालू परियोजना के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर, ऐसी अव्ययित राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करें। बशर्ते यह भी कि यदि कंपनी अधिनियम में प्रदान की गईआवश्यकताओं से अधिक राशि खर्च करती है, तो कंपनी बाद के तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध ऐसी अतिरिक्त राशि का समायोजन कर सकती है।

(iv) सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के लिए सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित चालू वर्ष के लिए वार्षिक बजट और कार्य योजना भी। वार्षिक आधार पर आवंटित वार्षिक बजट का उपयोग वर्ष के लिए सीएसआर योजना के अनुसार सीएसआर क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों / परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(v) किसी भी चालू परियोजना के लिए अव्ययित कोई भी राशि, ऐसी शर्तों को पूरा करना, जो निर्धारित की जा सकती हैं, कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में शुरू की गई, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के अंदर हस्तांतरित की जाएगी। किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा खोले जाने वाले एक विशेष खाते को अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा, और ऐसी राशि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में खर्च की जाएगी। इस तरह के अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के अंदर नीति, जिसके विफल होने पर, कंपनी इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगी।

(vi) जब तक अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए अनुसूची VII में एक निधि निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक अप्रयुक्त सीएसआर राशि, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कार्यान्वयन

(i) बीईएमएल के सामूहिक कार्यालय / विभिन्न कॉम्प्लेक्सों / प्रभागों / आंचलिक कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / जिला कार्यालयों / कार्य केंद्रों द्वारा स्थानीय क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित निधि को खर्च करने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

(ii) समयावधि / अवधि जिस पर कोई विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, उसकी प्रकृति, कवरेज की सीमा और कार्यक्रम के इच्छित प्रभाव पर निर्भर करेगा।

(iii) ऐसे कार्यक्रम जिनमें काफी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है और जो 2-5 वर्षों की समय सीमा पर किए जाने हैं, उन्हें 'प्रमुख कार्यक्रम' माना जाएगा और उन्हें अधिक महत्व दिया जाएगा।

(iv) इसके अलावा, एक कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई बहु-वर्षीय परियोजना, जिसकी समय-सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं है, उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर जिसमें इसे प्रारंभ किया गया था, और इसमें ऐसी परियोजना

शामिल होगी जिसे शुरू में एक बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था लेकिन जिसकी अवधि को बोर्ड द्वारा उचित औचित्य के आधार पर एक वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया है, उसे "चालू परियोजनाएं" कहा जाएगा।

(v) आंचलिक कार्यालयों / क्षेत्रीय / जिला कार्यालयों / कार्य केंद्रों के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में निष्पादित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों को कुल मिलाकर वरीयता दी जाएगी।

(vi) जब भी संभव हो, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभागों की एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों आदि की पहलों को बीईएमएल की पहल के साथ जोड़ा और समन्वित किया जाएगा।

(vii) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियां कंपनी द्वारा स्वयं या इसके माध्यम से की जाती हैं -

क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो कंपनी द्वारा स्थापित आयकरअधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 क और 80 जी के तहत पंजीकृत है, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ, या

ख) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत ट्रस्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी; या

ग) संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई; या

घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 क और 80 जी के तहत पंजीकृत है, और इसी तरह की गतिविधियां उपक्रम में कम से कम तीन वर्ष के स्थापित करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।

(viii) उपरोक्त (vii) के अंतर्गत आनेवाली प्रत्येक इकाई, जो किसी भी सीएसआर गतिविधि को करने का इरादा रखती है, अप्रैल 2021 के 01वें दिन से रजिस्ट्रार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म सीएसआर -1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करेगी। फॉर्म सीएसआर- 1 इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और जमा किया जाएगा और व्यवहार में सनदी लेखाकार या पेशेवर कंपनी सचिव या पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा। पोर्टल पर फॉर्म सीएसआर -1 जमा करने पर, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एक अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी। फॉर्म सीएसआर -1 को संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और जमा किया जाएगा और एक सनदी लेखाकार या पेशेवर कंपनी सचिव या पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा। पोर्टल पर फॉर्म सीएसआर -1

जमा करने पर, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एक अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी।

(ix) नियम 4(3) के अनुसार, कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल कर सकती है।

(x) कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

(xi) कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

(xii) चालू परियोजना के मामले में, बीईएमएल का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमेय समयावधि के अंदर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा।

(xiii) सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

अ) निम्नलिखित में से किसी के माध्यम से कार्यक्रमों की पहचान :

क) पेशेवर संस्थानों / एजेंसियों द्वारा पहचान अध्ययन की आवश्यकता है

ख) स्थानीय स्तर पर क्रॉस-फंक्शनल टीम द्वारा आंतरिक आवश्यकता का आकलन

ग) जिला प्रशासन / स्थानीय सरकार, आदि से प्रस्तावों / अनुरोधों की प्राप्ति ।

घ) स्थानीय प्रतिनिधियों / नागरिक निकायों / नागरिक मंचों / स्वैच्छिक संगठनों के साथ चर्चा और अनुरोध।

ङ) कंपनी द्वारा किसी अन्य तरीके से पहचाने गए प्रस्ताव।

आ) परियोजना आधारित दृष्टिकोण: बीईएमएल कॉर्पोरेट कार्यालय / कॉम्प्लेक्स / प्रभाग / आंचलिक् कार्यालय / क्षेत्रीय / जिला कार्यालय / कार्य केंद्र सीएसआर परियोजनाओं की दीर्घ कालिक स्थिरता पर जोर देने के लिए एक परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण का पालन करेंगे, जहां इसकी कार्ययोजना के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा:

अल्पावधि : 1 वर्ष तक

मध्यम अवधि: 1 वर्ष से 2 वर्ष तक

दीर्घावधि: 2 वर्ष और उससे अधिक

चालू परियोजनाएं : एक कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई बहु-वर्षीय परियोजना, जिसकी समय-सीमा तीन वर्ष सेअधिक नहीं है, उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर जिसमें इसे प्रारंभ किया गया था, और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में एक बहु-वर्षीय के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था। परियोजना लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दिया गया है।

(xiv) दीर्घकालिक कार्यक्रमों की पहचान करते समय, निम्नलिखित को परिभाषित करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाने चाहिए:

क) कार्यक्रम के उद्देश्य

ख) आधारभूत सर्वेक्षण – यह वह आधार देगा जिस के आधार पर कार्यक्रम के परिणाम को मापा जाएगा।

ग) कार्यान्वयन कार्यक्रम - कार्यक्रम के मील के पत्थर के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

घ) जिम्मेदारियां और अधिकारी।

ङ) प्रमुख परिणाम अपेक्षित और मापने योग्य परिणाम।

च) परियोजना कार्यान्वयन / पूर्णता का मूल्यांकन

अनुमोदन के लिए शक्तियां

आंचलिक कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / जिला कार्यालयों / कार्य केंद्रों / कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग द्वारा पहचाने जानेवाले सीएसआर कार्यक्रमों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी पहली तिमाही के दौरान उचित सिफारिशों के साथ और समिति बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव देगी।

बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना को बदल सकता है।

सीएसआर व्यय

(i) कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

(ii) चालू परियोजना के मामले में, बीईएमएल का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमेय

समयावधि के अंदर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा।

(iii) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iv) सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी परियोजना में वापस जोत दिया जाएगा या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर, कंपनी या ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करें।

(v) जहां एक कंपनी धारा 135(5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135(5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के खिलाफ तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक शर्तों के अधीन समायोजित किया जा सकता है

क) इस नियम के उप-नियम 2 के अनुसरण में, समायोजन के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।

ख) कंपनी का बोर्ड इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करेगा।

(vi) सीएसआर राशि एक कंपनी द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है, जो किसके द्वारा आयोजित की जाएगी -

क) एक कंपनी ने अधिनियम के नियम 8, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी की स्थापना की जिसमें धर्मार्थ वस्तुएं और नियम 4 (2) के तहत सीएसआर पंजीकरण संख्या है; या

ख) उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों, समूहों, संस्थाओं के रूप में; या

ग) एक सार्वजनिक प्राधिकरण

निगरानी और प्रतिक्रिया

(i) कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

(ii) चालू परियोजना के मामले में, बीईएमएल का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमेय

समयावधि के अंदर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा।

(iii) कार्यान्वयन के तहत सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति मासिक आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय को सूचित की जाएगी।

(iv) करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व है , तो तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में, सीएसआर परियोजनाओं के एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करेगा। एक करोड़ रुपये या अधिक का परिव्यय हो , और जो प्रभाव अध्ययन करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा किया गया हो।

(v) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रभाव मूल्यांकन करनेवाला बीईएमएल उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय बुक कर सकता है, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(vi) बीईएमएल कॉर्पोरेट कार्यालय / कॉम्प्लेक्स / प्रभाग / आंचलिक कार्यालय / क्षेत्रीय / जिला कार्यालय / कार्य केंद्र भी कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे।

(vii) कंपनी का बोर्ड

(i) सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और सीएसआर नीति को मंजूरी देने और ऐसी नीति की सामग्री को अपनी रिपोर्ट में प्रकट करने और उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पर डालना।

(ii) सुनिश्चित करें कि कंपनी की सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियों को कंपनी द्वारा किया जाता है।

(viii) किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में अनुबंध में निर्दिष्ट विवरणवाली सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी।

(ix) कंपनी का निदेशक मंडल अनिवार्य रूप से सीएसआर समिति की संरचना, और सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रकट करेगा।

<u>भूमिकायें और उत्तरदायित्व</u>

जबकि प्रत्येक बीईएमएल लिमिटेड कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह इस दस्तावेज़ में उल्लिखित मूलभूत सिद्धांतों का पालन करे, कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी निम्नानुसार सौंपी गई है:

1. लाइन प्रबंधन

   सीएसआर कार्यान्वयन के लिए और इस कॉर्पोरेट निर्देश के बुनियादी सिद्धांतों का अपनी इकाइयों में सभी कर्मचारियों का संप्रेषित करने के लिए लाइन प्रबंधक जिम्मेदार हैं।

2. व्यावसायिक इकाइयां

   यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी व्यावसायिक प्रथाएं इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार हैं, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई प्रासंगिक सीएसआर मुद्दों क□अ□नी रणनीति के विकास में एकीकृत करेगी।

   वार्षिक व्यवसाय निय□जन प्रक्रिया के संबंध में सीएसआर से संबंधित चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि प्रासंगिक ह□ त□लक्ष्य और लक्ष्य स्था□ित किए जाने चाहिए।

   सीएसआर के लिए परिचालन दिशा-निर्देश उपयुक्त होने पर और प्रत्येक व्यावसायिक इकाई की विशिष्ट चुनौतियों और विशेषताओं के अनुसार विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई इस कॉर्पोरेट निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

3. कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग मानव संसाधन कार्य का हिस्सा बननेवाला कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग सीएसआर योजना विकसित करने और दिशानिर्देशों की रिपोर्ट करने, आंतरिक प्रदर्शन की निगरानी करने और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों / प्रभागों / आंचलिक / क्षेत्रीय / जिला कार्यालयों को सामान्य सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदारहै।

   कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग एक कॉर्पोरेट स्तर पर बाहरी रिपोर्टिंग के समन्वय के लिए और ज्ञान और क्षमता साझा करने के लिए अन्य कंपनियों, संस्थानों और संगठनों के साथ संबंध विकसित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

4. बोर्ड की सीएसआर समिति

   सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

   (क) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में प्रारंभ करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

   (ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका;

   (ग) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर- तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम;

   (घ) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; तथा

   (ङ) कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण :

बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर इस तरह की योजना में बदलाव कर सकता है।

5. कॉर्पोरेट सीएसआर समिति

कॉर्पोरेट सीएसआर समिति निम्नलिखित के माध्यम से सीएसआर बोर्ड उप-समिति की सहायता करेगी :

(क) प्रत्येक प्रभाग के लिए बजट का आवंटन

(ख) प्रबंधन और बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं को अंतिम रूप देना और सिफारिश करना

(ग) वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करना

(घ) वर्ष के लिए प्रारंभ की गई परियोजनाओं और वर्ष के दौरान प्रस्तावित नई परियोजनाओं की समीक्षा करना।

6. कॉम्प्लेक्स / प्रभागीय सीएसआर समिति

कंपनी के सीएसआर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स / प्रभागीय सीएसआर समिति निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाएगी:

(क) अपने संबंधित प्रभागों के लिए बजटीय अनुमानों के साथ परियोजनाओं की पहचान

(ख) प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त करने से पहले परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए कॉर्पोरेट सीएसआर समिति को परियोजनाओं को प्रस्तुत करना

(ग) परियोजनाओं का कार्यान्वयन

(घ) समयावधि के आधार पर परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट सीएसआर समिति द्वारा समीक्षा के लिए अंतिम रिपोर्ट।

दंड:

(i) यदि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करती है, तो कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि या अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता, जैसा भी मामला हो, या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, कंपनी हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशि के दोगुने जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी। और

(ii) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है, कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट ऐसी निधि या अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते, जैसा भी मामला हो, में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि के दसवें हिस्से के, या दो लाख रुपये, जो भी कम हो, दंड के लिए उत्तरदायी होगा। ।

***